

'हरियाणा लक्ष्मि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ततिथा नयितरण) आदेश, 2022' को मली मंजूरी

चर्चा में क्यों?

29 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'हरियाणा लक्ष्मि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ततिथा नयितरण) आदेश, 2022' की स्वीकृति के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बढि

- इसके तहत उचित मूल्य की दुकान जारी करने के लिये 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस कम-से-कम 300 लाभार्थियों के राशन कार्ड के लिये दिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिये एक गाँव को एक इकाई के रूप में माना जाएगा। गाँव के 300 से कम राशन कार्ड के लिये भी उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- उचित मूल्य की दुकान पर विक्रय यंत्र बढि के माध्यम से पीडीएस के तहत बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण के बाद आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा।
- नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत लाभार्थी देश भर में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लेने का हकदार होगा। राशन दुकान की सेवाओं को ऑनलाइन या अन्य तंत्र के माध्यम से वितरित किया जाएगा।